# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2054/2025

मुन्नी कुमारी —अपीलार्थी

**बनाम**

1. शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक (अराजपत्रित) (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. सुलोचना कुमारी, नर्सिंग ऑफिसर, जिला अस्पताल पीपाड शहर जिला जोधपुर।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झुंझुंनू।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुत करने की दिनांक** : 18.02.2025
**आदेश की दिनांक** : 17.03.02025

**उपस्थित —**
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

**आदेश**

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरीर खेतड़ी, झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से जिला अस्पताल पीपाड शहर जिला जोधपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर किया गया है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण उसको समंजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी दिनांक 01.01.2025 से 01.03.2025 तक चाईल्ड केयर लीव पर थी। अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश दिनांक 06.02.2025 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी का चाईल्ड केयर अवकाश दिनांक 07.02.2025 से 01.03.2025 तक निरस्त किया गया तथा नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त होने के निर्देश दिये गये। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 03 के द्वारा किया गया है, जो कि न तो अपीलार्थी के नियुक्ति अधिकारी है और न ही

अनुशासनात्मक अधिकारी है। इस कारण से वह स्थानान्तरण के सक्षम अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण गतिविधियां नियम 2011 के नियम 8(iii) के विपरीत किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरीर खेतड़ी, झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से जिला अस्पताल पीपाड शहर जिला जोधपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.11(1 एमएम)/2018, जयपुर दिनांक 22.11.2021 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आंवटित है। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावडा )**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**